तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/4/18	वकील प्रार्थी उपस्थित / शपथ पत्र पर विरोधाभास होने के कारण खारिज होने योग्य है इसलिए प्रार्थना पत्र का चलाया जाना कोई औचित्य नहीं रखता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशकार शुमार होकर दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner